कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

1. कार्यपालक पदाधिकारी
   नगर पंचायत, बहादुरगंज
   जिला– किशनगंज
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी,
   जिला– किशनगंज

SS (I.P.M)

27 FEB 2019

महाशय,

नगर पंचायत, बहादुरगंज के वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 36 / 18–19 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन के अपने कार्यालय से संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 4 सप्ताह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

28 FEB 2019
2545

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14762/251 दिनांक– 21.02.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. जिलाधिकारी, किशनगंज

21/02/19

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 36/18–19

भाग –I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर पंचायत, बहादुरगंज (किशनगंज)
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2016–17 से 2017–18
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–v में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित किया गया था या संधारित नहीं किया गया था, को परिशिष्ट– vi में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	07.12.2018 से 13.12.2018 तक
5	प्रशासन	
क	मुख्य पार्षद	कार्य अवधि
	1.श्री मुजतवा अनवर राही	2012–17
	2. श्रीमती सुमित्रा देवी	2017–अबतक
	उप मुख्य पार्षद	
	1. श्रीमती मीरा बसाक	2012–17
	2. श्री मो0 सफरूल	2017–अबतक
ख	कार्यपालक पदाधिकारी	
	1.श्री ललित कुमार झा	05.09.2015 से 03.07.2018 तक
	2.श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा	04.07.2018 से अबतक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री नागेन्द्र कुमार यादव, स0लेखापरीक्षा अधिकारी श्री मनीष कुमार–।।, स0लेखापरीक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार, लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री विनोद कुमार– II, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखा परीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाए जाएँ ताकि लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हाँ (दिनांक 13.12.2018 को)

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई (नगर पंचायत बहादुरगंज) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II
खण्ड– क– शून्य
खण्ड– ख

कंडिका संख्या 1: नक्शा पारित करने में रू. 6.96 लाख के श्रम सेस की वसूली नहीं किया जाना।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का एक प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये गये थे और जिसका लागत 10 लाख रूपये से अधिक था उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निगम अथवा नगरपालिका में जमा करना था।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का दो प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत – कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसके व्यापक प्रचार– प्रसार के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में नक्शा पारित करते समय न तो नगर पंचायत कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा इस सेस की वसूली की गयी थी। नगर पंचायत कार्यालय तथा वास्तुविदों द्वारा नक्शों में भवन निर्माण की प्राक्कलित राशि भी नहीं दर्शाई गयी थी। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा श्रम सेस की वास्तविक हानि ज्ञात नहीं की जा सकी।

भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं मानक एकक) निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 62/एस ई (टी ए एस) प्लिन्थ एरिया रेट्स/ 122 दिनांक 12.12.2007 के अनुसार दिनांक 01.10.2007 से नई कुरसी क्षेत्र (आधार 100 पर) दर लागू था। जिसके अनुसार प्रति फ्लोर 2.90 मी0 ऊँचाई वाले आवासीय/गैर आवासीय छः तल्ले तक के भवनों के निर्माण का लागत रू. 9000 प्रति वर्गमीटर था। इस आधार दर पर समयानुसार मूल्य सूचकांक की भी स्वीकृति दी गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

पत्रांक/दिनांक	स्थल का नाम	लागू होने की तिथि	मूल्य सूचकांक
No.19(2)/CE(EZ-II)/2008/ 806 दिनांक 25.6.2008	पटना	04/2008	122
No.19(2)/CE(EZ-II)/2009/2010 दिनांक 21.12.2009	पटना	12/2009	147
No.19(2)/CE(EZ-II)/2011/73 दिनांक 12.1.2011	पटना	12/2010	155
स 19(2)/मु0अ0(पू.अं.–II)/2011/ 4648–71 दिनांक 28.12.11	पटना	12/2011	169
सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.– II)/2013/ 189–203 दिनांक 09.01.13	पटना	01/2013	179

वर्ष 2007 में लागू प्रति वर्गमीटर कुर्सी दर रू. 9000 के आधार दर पर 179 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष 2014–15 में नगर पंचायत एवं वास्तुविदों द्वारा पारित कुल नक्शों के लागत मूल्य की गणना की गयी। इसके आधार पर जिन भवनों का लागत मूल्य रू. 10 लाख से अधिक था के गणना के आधार पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा न्यूनतम कुल रू. 695888.00 के श्रम सेस की वसूली नहीं की गयी थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	स्वीकृत नक्षों की सं0 वास्तुविदों द्वारा/नगर परिषद्	10 लाख रू0 से अधिक लागत मूल्य के भवनों की सं0	वसूल नहीं की गयी श्रम सेस की राषि	नगर निगम कार्यालय को सेस वसूली में हुयी प्रषासनिक हानि	अभियुक्ति
2016–17	26	24	496954	4970	रू. 9000 का 179 % = रू. 16110
2017–18	21	7	198935	1989	
योग			695888	6959	

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर दिया गया है।)

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि किन परिस्थितियों में श्रम सेस की राषि की कटौती उक्त भवनों जिसका लागत मूल्य रू. 10 लाख से अधिक था से नहीं की गयी थी। जिसके कारण श्रम विभाग को रू. 6.96 लाख़ के श्रम सेस की हानि हुयी तथा इसके अतिरिक्त रू. 0.07 लाख की प्रशासनिक हानि नगर पंचायत को हुयी। कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि जानकारी के अभाव में श्रम सेस की वसूली नहीं की गई है। भविष्य में वसूली की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है, नगर पंचायत कार्यालय द्वारा स्वयं अथवा वास्तुविदों के माध्यम से श्रम सेस की वसूली नहीं किये जाने के कारण उक्त हानि की राशि रू. 6.96 लाख़ को नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अथवा संबंधित वास्तुविदों के माध्यम से सूद सहित वसूल कर श्रम विभाग में जमा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका सं. 2 राशि रू. 1.68 लाख का संदेहास्पद व्यय

नगर पंचायत, बहादुरगंज के द्वारा उपलब्ध कराए गए राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना की रोकडबही एवं योयना पंजी के अवलोकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी।

1. रोकडबही के अनुसार 12.06.2007 के बाद कोई भी योजना नहीं लिया गया है लेकिन दिनांक 30.10.17 को रॉयल्टी की राशि रू. 31591 उपरोक्त मद के लिए जमा किया गया।
2. योजना सं. 01/03–04, 19/02–03 और 16/03–04 के लिए अग्रिम रू. 167500 का भुगतान श्री शादाब अनवर, कनीय अभियंता को किया गया, उपरोक्त अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया और न ही योजना पूर्ण हुआ और 26.11.08 के बाद अभिकर्ता को नोटिस भी नहीं दिया गया। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र. सं.	योजना सं.	योजना का नाम	प्रा.राशि. रू.	अग्रिम राशि रू.	दिनांक
1.	01/03–04	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्य के तहत नगर पंचायत बहादुरगंज वार्ड नं. 2 के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.डी. सडक से श्री चमक लाल सिंह के घर तक ईंट सोलिंग	158000	7500 100000 35000	4.9.03 3.11.03 14.1.14
2	16/03–04	नगर पंचायत बहादुरगंज वार्ड सं.–2 के अंतर्गत श्री भोला प्रसाद के घर के निकट कुआ निर्माण कार्य	19000	7500 9000	14.1.04 9.6.04
3	19/02–03	नगर पंचायत बहादुरगंज वार्ड सं.4 के अंतर्गत पी.डब्ल्यू.डी. रोड से सैदुल के घर तक कच्ची सडक में मिट्टी भराई कार्य	11600	2500 6000	18.2.03 6.3.03

3. रोकडबही के अनुसार दिनांक 27.12.17 को शेष बची राशि रू. 454075/– में से रू. 286575/– चेक सं.– 020748 द्वारा वापस किया गया शेष बची राशि रू. 167500/– वापस नहीं किया गया ।
4. उपरोक्त योजना संचिका में मस्टर रोल, अभिश्रव एवं मापी पुस्त उपलबध नहीं था।
5. उपरोक्त योजना को पूर्ण करने के लिए कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
6. उपरोक्त अग्रिम वसूली करने के लिए नगर पंचायत द्वारा कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है उक्त कार्य में दिया गया अग्रिम की राशि का क्रियान्वयन में कृत मस्टर रोल, अभिश्रव एवं मापी पुस्त लेखा परीक्षा में उपलबध नहीं किये जाने के कारण उक्त कार्यों का क्रियान्वयन संदिग्ध है, अतएव उक्त कार्यो में दिये गये अग्रिम की राशि की वसूली संबंधित अभिकर्त्ता/जिम्मेवार व्यक्तियों से सूद के साथ की जाय और नगर पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका सं. 3 हॉल्डिंग कर की राशि रू 0.80 लाख बैंक में जमा नहीं

नगर पंचायत, बहादुरगंज के द्वारा उपलबध कराए गए हॉल्डिंग कर के रसीद के अवलोकन में पाया गया कि भोल्यूम सं. 9701 से 9800 / दिनांक 24.9.18 से 5.12.18 जो मो0 नईम अख्तर, टैक्स दारोगा द्वारा कुल राशि रू. 160837 वसूली गई। जिसमें से बैंक में सिर्फ रू. 80000 ही जमा किया गया, शेष राशि रू. 80837 जमा नहीं किया गया। उक्त राशि को जमा नहीं किये जाने का कारण लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है, जमा नहीं किया गया राशि रू. 80837/– की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से किया जाय और नगर पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका संख्या– 4 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण रू. 2.82 लाख की हानि

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त, मोडिफाईड बिल्डिंग बाई–लॉ के बाई–लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई–लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है। राज्य सरकार ने 08 दिसम्बर 2014 से नया बिहार बिल्डिंग वाई लॉ लागू किया है। जिसके बाई लॉ सं. 7(2) में यह प्रावधान किया गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में डेवलपमेंट परमिट फीस भिन्न दर से लिया जायेगा–

क्षेत्रफल	**परमिट फीस**
एक हेक्टेयर तक	रू. 6000/–
एक हेक्टेयर एवं उससे ऊपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	रू. 12000/–
2.5 हेक्टेयर से ऊपर	रू. 16000/–

लेकिन नगर पंचायत बहादुरगंज कार्यालय के लेखापरीक्षा अवधि वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में स्वीकृत नक्शों की जॉच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर पंचायत द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया था। नक्शा प्राप्ति पंजी में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि स्वीकृत नक्शा आवासीय था अथवा वाणिज्यिक। इसके कारण अंकेक्षण में डेवलपमेन्ट परमिट फीस मद में प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस अवधि में कुल 47 नक्शा नगर पंचायत कार्यालय एवं वास्तुविदों द्वारा पारित किये गये थे, लेकिन न तो नगर पंचायत कार्यालय द्वारा तथा न ही वास्तुविदों द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से लिया गया था।

न्यूनतम प्रति नक्शा रू. 6000 के गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 (26 नक्शा पारित) एवं 2017–18 (21 नक्शा पारित) के अवधि में नगर पंचायत को स्वीकृत नक्शों पर नगर पंचायत कार्यालय को न्यूनतम रू. 282000 (47 X 6000.00) की हानि हुयी।

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वास्तुविदों से कभी डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली नहीं किया गया था। साथ ही लेखा परीक्षा में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बाई लॉ के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से क्यों नहीं लिया गया। कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि बोर्ड के द्वारा परमिट फीस लेने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाती है।

उत्तर मान्य नहीं है, नियमानुसार डेवलपमेन्ट परमिट फीस लिया जाना है, अतः नहीं वसूले गये डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली संबंधित व्यक्तियों अथवा वास्तुविदों से वसूल कर रू. 282000 नगर पंचायत कोष में जमा करके अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका संख्या– 5 संचार टावरों का अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की राशि रू. 7.00 लाख की वसूली नहीं

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व मे संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उसे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1)के अनुसार नगर पंचायत पंजीकरण शुल्क के रूप में रू. 30000 प्रति टावर एवं रू. 8000 नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। नियमतः 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा। नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता हे तो 1/5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर पंचायत, बहादुरगंज के वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत बहादुरगंज के द्वारा प्रस्तुत संचार मीनार पंजी के अनुसार 10 संचार मीनार नगर पंचायत बहादुरगंज मे अधिष्ठापित थे। अधिष्ठापित संचार मीनार का निबंधित एकरारनामा लेखा परीक्षा में अतिशीघ्र प्रस्तुत किया जाय, और उक्त संचार मीनार के अधिष्ठापन हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

नगर पंचायत बहादुरगंज द्वारा लेखापरीक्षा दल को उक्त अधिष्ठापित 10 संचार मीनार के विरूद्व दिनांक 31.03.2018 तक बकाया राशि की कोई भी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी। उक्त अधिष्ठापित 10

संचार मीनारों पर लांबित पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क की विस्तृत विवरणी तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत संचार मीनार पंजी में अधिकांश अधिष्ठापित संचार मीनारों में अधिष्ठापन की तिथि अंकित नहीं की गयी थी। जिसके कारण सही लांबित पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क की गणना नहीं की जा सकी। उक्त संचार मीनारों के अधिष्ठापन की तिथि अंकित कर अतिशीध्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त संचार मीनारों के न्यूनतम नवीकरण शुल्क मानकर लंबित पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क की गणना लेखा परीक्षा में की गयी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं0	जमीन/गृह स्वामी का नाम	कम्पनी का नाम	टावर अधिष्ठापन की तिथि	पंजीकरण शुल्क(रू.)	नवीकरण शुल्क(रू)	कुल राशि (रू)
1.	अंकित नहीं	एयरटेल	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
2.	–तथैव–	एम0 टी0 एस0	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
3.	–तथैव–	बी0 एस0 एन0 एल0	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
4.	–तथैव–	एयरटेल	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
5.	–तथैव–	बी0 एस0 एन0 ल0	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
6.	–तथैव–	–तथैव–	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
7.	–तथैव–	रिलायंस	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
8.	–तथैव–	एयर सेल	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
9.	–तथैव–	टाटा इनीकॉम	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
10.	–तथैव–	ए0 टी0 सी0 इंडिया	2011–12	30000.00	40000.00	70000.00
				300000.00	400000.00	700000.00

अतएव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत संचार मिनारों पंजी अनुसार उक्त संचार मिनारों से कम से कम पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क रू. 700000.00 नही लिया जा रहा था। उक्त राशि की वसूली नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत, बहादुरगंज को राशि रू. 700000.00 की हानि हुई, लेखा परीक्षा में उक्त आपत्तियों को उठाये जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि बोर्ड के द्वारा उक्त कर की वसूली की स्वीकृति नहीं दी गई है।

उत्तर मान्य नहीं है, नियमानुसार उक्त संचार मिनारों से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क की वसूली सूद के साथ की जाय और वसूली नहीं किये जाने के कारण हुई उक्त हानि की राशि रू. 700000.00 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय और नगर पंचायत के खाते में जमा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

मोबाईल मीनार टावरों पर अतिरिक्त एंटिना लगाये जाने से संबंधित संचिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है, उक्त संचिका को अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

मीनार टावर पंजी में संचार मिनारों के अधिष्ठापन की तिथि दर्ज नहीं थी, तथा यह भी दर्ज नहीं था कि उक्त संचार मिनारों से कब तक का नवीकरण शुल्क लिया जा चुका है अतएव उक्त संचार मिनारों

से उक्त बकाया नवीकरण शुल्क एवं बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की गणना भी नहीं की जा सकी। उक्त वांछित जानकारी अतिशीघ्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ताकि उक्त नवीकरण शुल्क एवं बकाया राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की गणना की जा सके, और उक्त बकाया राशि की गणना कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

उक्त 10 संचार मीनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे, उन घरों एवं जमीनों के गृह कर/सम्पत्ति कर पंचायत कार्यालय द्वारा किन दरों से वसूली की जा रही थी का विस्तृत विवरणी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत कार्यालय द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों से उक्त घरों एवं जमीनों से गृह कर/सम्पत्ति कर की वसूली की जा रही थी। इसे अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका संख्या– 6 बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिर्वतन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगर पंचायत बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर पंचायत को लौटा देगी।

नगर पंचायत बहादुरगंज के वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि बजट प्राक्कलन उक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजट तैयार नहीं किया गया था। नगर पंचायत के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का बजट को निम्नानुसार पारित किया गया था–

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	निगम बोर्ड द्वारा पारित करने की तिथि	राज्य सरकार को भेजने की तिथि	पत्रांक	राज्य सरकार द्वारा पारित कर वापस करने की तिथि
1	2016–17	08.03.2016	09.03.2016	144	संचिका में कोई सूचना दर्ज नहीं किया गया था
2	2017–18	25.03.2017	28.03.2017	249	संचिका में कोई सूचना दर्ज नहीं किया गया था

उक्त बजट प्राक्कलन को बोर्ड के द्वारा पारित कर 15 मार्च तक राज्य सरकार को भेज दिया जाना था किंतु उक्त बजट प्राक्कलन को राज्य सरकार को कब भेजा गया और राज्य सरकार के द्वारा इसे कब विचार कर लौटाया गया की सूचना संचिका में दर्ज नहीं थी। लेखा परीक्षा में यह स्पष्ट नहीं

किया गया कि उक्त बजट को राज्य सरकार को कब भेजा गया और राज्य सरकार के द्वारा इसे कब विचार कर लौटाया गया।

(ख) बजट प्राक्कलन याथर्थता से परे

नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलन पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया था। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा बजट में दर्शाये गये प्राप्तियों तथा व्ययों का वास्तविक आय– व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका।

नगर पंचायत, बहादुरगंज के द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के बजट संचिका के अवलोकन के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट में दर्शाए गए अनुमानित आय एवं व्यय की राशि वास्तव में उस साल के आय एवं व्यय की राशि से काफी भिन्न है। जिसका विस्तृत विवरणी निम्न है।

क्रम संख्या	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 2016–17**
1.	बजट के अनुसार अनुमानित आय (बजट 2016–17 के अनुसार)	248468000
2.	वास्तविक आय (बजट 2017–18 के अनुसार दिसम्बर 2016 तक)	84468184
3.	पुनरीक्षित अनुमानित आय	156679253
4.	**बजट का प्रतिशत**	**36.94 प्रतिशत**
5.	बजट के अनुसार अनुमानित व्यय (बजट 2016–17 के अनुसार)	349681000
6.	वास्तविक व्यय (बजट 2017–18 के अनुसार दिसम्बर 2016 तक)	23341927
7.	पुनरीक्षित अनुमानित व्यय	61735291
8.	**बजट का प्रतिशत**	**82.34 प्रतिशत**

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रकिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाये गये राशि के विरूद्ध मात्र 10 प्रतिशत राशि का ही विचलन (कम/अधिक) मान्य होता है। लेकिन नगर पंचायत बहादुरगंज द्वारा पारित उक्त वर्ष के बजट प्रावधानों के विरूद्ध बहुत ही कम लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी थी। अर्थात नगर पंचायत द्वारा पारित बजट काल्पनिक थी। अंकेक्षण में यह पूछे जाने पर कि किन कारणों से बोर्ड द्वारा पारित बजट के अनुसार आय– व्यय के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा ।

उत्तर मान्य नहीं है, बजट यर्थाथता के करीब पारित किया जाय।

कंडिका संख्या– 7 सेवा कर वसूली नहीं किये जाने के कारण हानि रू. 0.22 लाख

नगर पंचायत, बहादुरगंज के वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत बहादुरगंज के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणी के जाँच में पाया गया कि कुल दुकानों से कुल रू. 157465.00 रूपया वसूल किया गया परंतु वित्तीय अधिनियम 1994 के अध्याय V के अनुसार सेवा कर के रूप में 14 प्रतिशत सहित वसूली अर्थात कुल रू. 22045.00 (रू. 157465 +14 प्रतिशत सेवा

कर रू. 179510.00) किया जाना चाहिए था जो नही किया गया जिसके कारण कुल रू. 22045.00 का हानि हुआ। जिसका कारण लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि जानकारी के अभाव में सेवा कर वसूली नहीं की गई। भविष्य में सेवा कर की वसूली की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है उक्त हानि की राशि रू. 22045.00 की वसूली उक्त हानि के जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

कंडिका संख्या– 8 कर का पुर्ननिर्धारण नहीं

बिहार म्यूनसीपल लेखा अधिनियम 2007 के भाग 127 के अनुसार कर का पुर्ननिर्धारण प्रत्येक 5 वर्ष पर कर के 15 प्रतिशत बढ़ाकर किया जना चाहिए परंतु नगर पंचायत, बहादुरगंज के वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत, बहादुरगंज के द्वारा कर का पुर्ननिधारण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि हो रही है।

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि कब से और किन परिस्थितियों में कर का पुनर्निर्धारण नहीं किया जा रहा है, कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि सरकार से प्राप्त कर निर्धारण की सूची प्राप्त हुई है लेकिन बोर्ड द्वारा इसे स्वीकृति नहीं दी गई।

उत्तर मान्य नहीं है, पुनर्निर्धारण नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत, बहादुरगंज को राजस्व की हानि हो रही है नियमानुसार करों का पुनर्निर्धारण कर राजस्व की वसूली कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका संख्या– 9 स्वच्छ भारत मिषन योजना में निष्फल व्यय रू. 178.50 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के विभागीय पत्रांक 03/एस.बी.एम. –20–02/2015/3733 न.वि.एवं आ.वि., दिनांक 19.08.2015 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु राशि के वितरण के संबंध में भारत सरकार की मार्गदर्शिका के आलोक में कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा में समर्पित संबंधित दस्तावेजों यथा–विकास कार्यों की समीक्षा का प्रगति प्रतिवेदन, लाभुकों को भुगतान की गई राशि की विवरणी, संबंधित रोकडबही आदि के अवलोकन के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीं। जिसकी विवरणी निम्नवत् है।

क्र. सं.	कुल वार्डों की संख्या	कुल लक्ष्य	प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या	द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या	द्वितीय किस्त प्राप्त करने हेतु शेष लाभुकों की संख्या	ओ.डी.एफ. घोषित वार्डों की संख्या
			प्रथम किस्त राशि रू.7500/–	द्वतीय किस्त राशि रू. 4500/–		
1.	18	6270	6270	3890	2380	10

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. संबंधित योजनाओं के दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि लाभुको को प्रथम किस्त का भुगतान किए छह माह से अधिक हो चुका है (यथा–वार्ड सं. 9 में लाभुकों को प्रथम भुगतान की तिथि –11.7.16, 21.3.18, 12.6.18)। जबकि प्रावधानुसार भुगतान की तिथि से 45 दिनों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए तदोपरांत द्वितीय किस्त का भुगतान लाभुक के लिखित अनुरोध के आधार पर किया जाएगा 2380 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान अब तक (दिसम्बर 2018) नहीं किया गया है।
2. स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देश के अनुसार इस मिशन के अंतर्गत कुल 6 प्रकार के कार्य किए जाने थे– 1. Household toilets 2. Community toilets 3. Public Toilets 4. Solid Waste Management 5.Information, Education and Public Awareness 6.Capacity Building and Administrative office expences.
   हाउसहोल्ड टॉयलेट के अतिरिक्त अन्य 5 प्रकार के कार्य हेतु कितनी योजनाएं ली गईं के संबंध में पूछे जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि शौचालय का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कर वस्तु–स्थिति से तथ्यों की जांच कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।
3. शौचालय निर्माण कार्य में 2380 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि रू. 7500/– के दर सें कुल मों0 17850000/– का भुगतान किया गया। उक्त लाभुकों को भुगतान की तिथि से 45 दिनों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना किंतु उक्त लाभुकों ने (प्रथम भुगतान की तिथि –11.7.16, 21.3.18, 12.6.18 से) 180 दिन से अधिक का समय व्ययतीत किये जाने के बावजूद भी शौचालय का निर्माण नहीं किया था, अतएव उक्त शैचालय के निर्माण में प्राप्त प्रथम किस्त की राशि कुल मों0 17850000/– निष्फल रहा।

कंडिका सं. 10 योजना का अनियमित कियान्वयन राषि रू. 9.91 लाख

1.योजना का मदः आइ.एच.एस.डी.पी.

1. योजना सं. व वर्षः 01/2016–17
2. योजना का नामःवार्ड सं. 11 अंतर्गत न्यू ब्लॉक रोड से मंजर के घर नार्थ ब्लॉक रोड भाया नगर पंचायत कार्यालय में पी.सी.सी. सडक निर्माण कार्य ।
3. संवेदक का नाम व पताः श्री गौरी शंकर अग्रवाल, थाना रोड, बहादुरगंज, किशनगंज ।
4. तकनीकी संस्वीकृति का प्राधिकारः कार्यपालक अभियंता, डुडा, किशनगंज, दिनांकः 13.8.15
5. प्रशासनिक संस्वीकृति का प्राधिकारः कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बहादुरगंज, दिनांकः 5.3.16
6. प्रशासनिक व तकनीकी संस्वीकृति की राशिः रू. 1358100.00

7. निविदा खोलने की तिथिः 11.04.16
8. कार्यादेश की तिथिः 26.7.16
9. मापी पुस्त के अनुसार योजना प्रारंभ करने की तिथिः 7.10.16
10. योजना पूर्ण करने की तिथिः 25.10.16
11. मापी पुस्त की राशिः रू. 1093499.00
12. संवेदक को भुगतान करने की राशिः रू. 991307.00
13. कुल कटौती राशिः रू. 102192.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

1. उपरोक्त वर्णित मद से संबंधित योजना के अवलोकन के दौरान पाया गया कि संवेदक द्वारा समर्पित कुल अभिश्रव की राशि रू. 1093400.00 थी जो कि मापी पुस्त की राशि के समतुल्य थी उसमें वैट की कटौती मापी पुस्त की राशि का 5 प्रतिशत की दर से कुल रू. 56545 की कटौती की गई है जबकि वैट की कटौती विभिन्न सामग्री में विभिन्न दर से कटौती करने का प्रावधान है (स्टोन चिप्स, सीमेंट – 14.5%, तथा बालू, ईंट –5%) लेखा परीक्षा में यह नहीं बताया गया कि किस प्रावधान के अंतर्गत कुल मापी पुस्त की राशि का 5 प्रतिशत कटौती की गई। नियमानुसार कम वैट की कटौती की राशि की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।
2. बिहार लघु समनुदान नियमावली 1972 के नियमानुसार सभी लघु खनिजों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती की जाने का प्रावधान है। लेकिन योजना में प्रयुक्त सामग्री की रॉयल्टी कार्यालय द्वारा रू. 1218 कम कटौती की गई, जिसकी विवरणी निम्नवत् है।

क्र.सं.	प्रयुक्त सामग्री का नाम	कुल मात्रा	रॉयल्टी कटौती की अनुमत्य दर	रॉयल्टी की कटौती की गई दर	कम कटौती की राशि रू.	अभ्युक्ति
1.	बालू	62.61 घ. मी.	रू. 50 प्रति घ.मी.	रू. 32 प्रति घ.मी.	1127	
2.	ईंट	10069	रू. 29 प्रति हजार	रू. 25 प्रति हजार	50	
कुल कटौती					1177	

कम रॉयल्टी की कटौती की राशि रू. 1177 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय और नगर पंचायत के खाते में जमा कर लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

3. योजना संचिका में गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिवेदन संलग्न नहीं था इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक मे कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि तथ्यों की जांच कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है, कम कटौती की राशि की वसूली नियमानुसार किया जाय। गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिवेदन संलग्न नहीं किये जाने के कारण अनियमित कियान्वयन की जांच कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं. 11 हॉल्डिंग कर की राशि बकाया– रू. 8.07 लाख

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा मांग तथा वसूली संबंधित पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक की अवधि का हॉल्डिंग/सम्पत्ति कर से संबंधित विवरणी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया। उक्त विवरणी के अनुसार मांग एवं वसूली का ब्यौरा निम्नवत् है –

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	मॉग की राशि रू.	वसूली की राशि रू.	अभ्युक्ति
1	2016–17	1225000.00	637179.00	
2	2017–18	1245000.00	1025454.00	
कुल राशि रू.		2470000.00	1662633.00	

उक्त विवरणी के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक राशि रू. 807367.00 बकाया था। बकाया राशि की वसूली नहीं किए जाने का कारण लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। बकाया राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय ।

कंडिका सं. 12 बकाया दुकान किराया रू0 1.18 लाख

नगर पंचायत, बहादुरगंज, किशनगंज द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की गई दुकान के मॉग एवं वसूली से संबंधित विवरणी की जांच से पता चला कि नगर पंचायत द्वारा आवंटित दुकान के दुकानदारों के पास दिनांक 31.03.2018 तक कुल राशि रू 118215/– किराया के रूप में बकाया है। बकाया दुकान किराया की विवरणी निम्नवत थी–

क.सं.	बाजार का नाम	बकाया राशि रू.
1	गुदरी बाजार	52590.00
2	अनुपामा बाजार	6125.00
3	रैन बसेरा	18500.00
4	अनुपामा बाजार के निकट	41000.00
		118215.00

उपरोक्त बकाया दुकान किराया राशि की वसूली नहीं किये जाने का कारण लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। बकाया राशि की वसूली कर लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं. 13 सैरातों की बंदोबस्ती

1. **निबंधन शुल्क तथा मुद्रांक शुल्क की राशि का वसूली/जमा नहीं किया जाना– रू0 2.45 लाख**

बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 9/सै.–/बेतिया–77/2015–509(9)/रा. दिनांक 17.08.2015 के अनुसार सैरात की बंदोबस्ती में बंदोबस्तधारी से बंदोबस्ती की राशि का 5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क तथा 5 प्रतिशत निबंधन शुल्क लिए जाने का प्रावधान है ।

नगर पंचायत कार्यालय बहादुरगंज के वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में की गई सैरातों की बंदोबस्ती से संबंधित संचिका का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि सैरातों की बंदोवस्ती में मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन शुल्क के रूप में यानी बंदोबस्ती राशि का 10 प्रतिशत की दर से बंदोबस्तधारी से कुल राशि रू. 245060 की उगाही नहीं की गई थी जिसकी विवरणी निम्नवत् है।

वित्तीय वर्ष	सैरातों के नाम	बंदोबस्ती की राशि	5 प्रतिशत निबंधन शुल्क	5 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क	निबंधन तथा मुद्रांक शुल्क की कुल राशि
2016–17	जहॉन अली मस्तान बस टर्मिनल, एल0आर0पी0 चौक बहादुरगंज	1168000	58400	58400	116800
2017–18	जहॉन अली मस्तान बस टर्मिनल, एल0आर0पी0 चौक बहादुरगंज	1282600	64130	64130	128260
				कुल राशि	245060

उपरोक्त दोनों वित्तीय वर्षों के दौरान बंदोबस्ती में निबंधन शुल्क तथ मुद्रांक शुल्क की कुल राशि रू. 245060 की उगाही बंदोबस्तधारी से नहीं किए जाने के फलस्वरूप सरकार को राजस्व की रू. 245060 की हानि हुई ।

2. सैरात– क. गुदरी बाजार बहादुरगंज ख. साईकिल, रिक्शा, ठेलागाडी व बैलगाडी ग. बुचडखाना घ. हड्डी महल। इन चार सैरातों की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 में नहीं हुई जिसके कारण सुरक्षित राशि के समतुल्य कुल राशि– रू. 303074 की हानि हुई जिसका विवरण निम्नवत् है–

वित्तीय वर्ष	सैरातों के नाम	सुरक्षित जमा राशि रू.
2016–17	क. गुदरी बाजार	120000
	ख. साईकिल, रिक्शा, ठेलागाडी व बैलगाडी	8101
	ग. बुचडखाना	14602
	घ. घ. हड्डी महल	7737
2017–18	क. गुदरी बाजार	112000
	ख. साईकिल, रिक्शा, ठेलागाडी व बैलगाडी	8911
	ग. बुचडखाना	16062
	घ. घ. हड्डी महल	8510
कुल राशि		295923

इस प्रकार सैरातों की बंदोबस्ती नहीं किए जाने अथवा विभागीय वसूली नहीं किए जाने से नगर पंचायत बहादुरगंज को रू. 303074 की हानि हुई।

लेखापरीक्षा आपत्ति के बिन्दु 1 के आलोक मे कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि भविष्य में निबंधन शुल्क तथा मुद्रांक शुल्क लिया जाएगा । बिन्दु 2 के आलोक में उत्तर दिया कि उक्त सैरात अस्तित्व में नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है। बिन्दु 1 के संदर्भ में बंदोबस्तधारी अथवा जिम्मेवार व्यक्तियों से रू. 245060 की वसूली कर नगर पंचायत कोष में जमा कर अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय। बिन्दु 2 के संदर्भ में उक्त सैरातों की बंदोवस्ती नहीं किये जाने अथवा विभागीय वसूली नहीं किये जाने के जिम्मेवार व्यक्तियों से किया जाय।

कंडिका सं. 14 अग्रिम राशि का समायोजन नहीं– राशि रू. 55.32 लाख

नगर पंचायत बहादुरगंज, किशनगंज के लेखा वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक लेखाओं की लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराए गए सामान्य रोकडबही के अनुसार निम्न तिथियों को राशि अग्रिम था, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है–

दिनांक	मद का नाम	राशि रू.
31.3.16	रा.ग.ब.यो.	167500
	11 वीं वित यो.	855000
	12 वीं.वित्त यो.	665000
	एस.जे.एस.आर.वाई.	538500
	विविध	3110000
	सामान्य	172830
	कुल	5508830
31.3.17	रा.ग.ब.यो.	167500
	11 वीं वित यो.	855000
	12 वीं.वित्त यो.	665000
	एस.जे.एस.आर.वाई.	538500
	विविध	3110000
	सामान्य	196330
	कुल	5532330
31.3.18	रा.ग.ब.यो.	167500
	11 वीं वित यो.	855000
	12 वीं.वित्त यो.	665000
	एस.जे.एस.आर.वाई.	538500
	विविध	3110000
	सामान्य	196330
	कुल	5532330

1. कार्यालय द्वारा 31.3.2016 में राशि रू. 5508830 समायोजन हेतु बकाया था जो दिनांक 31.3. 2018 तक बढकर राशि रू. 5532330 हो गई है। इतनी अधिक अग्रिम राशि विभिन्न एजेंसियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया गया है। लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि इतनी अधिक राशि किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है और उक्त अग्रिम के समायोजन के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ? नगर पंचायत, बहादुरगंज द्वारा उक्त आपत्तियों के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।
2. अग्रिम की सूची कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण किन– किन कर्मचारियों/अधिकारियों एवं एजेंसियों को कब– कब किस उद्देश्य के लिए अग्रिम दिया गया है, लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं किया जा सका। अग्रिम रोकड़बही का नियमानुसार संद्यारण नहीं किये जाने के कारण अग्रिम के कुल राशि का अग्रिम रोकडबही से मिलान नहीं किया जा सका। लेखा परीक्षा में अग्रिम की व्यक्तिवार सूची उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि अग्रिम का समायोजन अतिशीध्र करा लिया जाएगा। अग्रिम का समायोजन अथवा वसूली कर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं. 15 एस.जे.एस.आर.वाई. राशि का वर्षों से अवरूद्धिकरण–रू. 25.65 लाख

सरकार के पत्र सं. 04/स्वर्ण/04/2013/1916, दिनांक 08.08.2014 के अनुसार सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि एस.जे.एस.आर.वाई. मद में शेष पडी राशि एक सप्ताह के अंदर सरकार को वापस कर देना है। उक्त रोकडबही के अवलोकन के दौरान पाया गया कि दिनांक 01.04.2013 से राशि रू. 2564614 अनुपयोगित पडी है।

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि आखिर किस परिस्थितिवश इतनी बड़ी राशि को सरकार के दिशा निर्देशानुसार वापस क्यों नहीं की गई। लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक मे कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि सरकार से निर्देश प्राप्त कर राशि सरकार को वापस कर दी जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है, सरकार के पत्र सं. 04/स्वर्ण/04/2013/1916, दिनांक 08.08.2014 के अनुसार सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि एस.जे.एस.आर.वाई. मद में शेष पडी राशि एक सप्ताह के अंदर सरकार को वापस कर देना है। अतः सरकार के उक्त दिशा निर्देशानुसार राशि की वापसी कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका सं. 16 निधियों का अवरोधन रू. 2.03 लाख

बिहार कोषागार संहिता के नियम 300 के तहत कोषागार से राशि आहरित कर बिना प्रयोजन के रोकडबही में रखना वर्जित है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में राशि का आहरण आवश्यक है फिर भी व्यय के उपरांत शेष राशि को संबंधित शीर्ष में जमा कर देना नियमानुकूल है ताकि भविष्य में दुर्विनियोजन /विचलन आदि अनियमितता से बचा जा सके ।

कार्यालय के सहायक रोकडबहियों के अवलोकन के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 व 2017–18 के बीच संबंधित योजनाओं में किसी प्रकार का व्यय नहीं हुआ जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

क.सं.	सहायक रोकडबहियों का नाम मदवार	31.3.17 को अंतशेष रू.	31.3.18 को अंतशेष रू.
1.	स्ववित्त पोषित	171964	171964
2.	3454 जनगणना	31229	31229
	कुल राशि	203193	203193

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि उक्त राशि जो बैंकों में अनावश्यक रूप से पड़ी हुई है। इस अवरूद्ध राशि को संबंधित शीर्षों में वापस जमा/विभाग को वापस क्यों नहीं किया गया? लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक मे कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त कर राशि को सरकार को वापस कर दी जाएगी। जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए अवरूद्ध राशि को संबंधित शीर्षों में वापस/जमा कर अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका सं. 17 2012 में बेसिक/स्नातक ग्रेड में नियोजन नहीं किये जाने के कारण पद रिक्त रहना

नगर पंचायत, बहादुरगंज के शिक्षक नियोजन से संबंधित अभिलेख यथा कार्यवाही पंजी, आवेदन पंजी, काउन्सलिंग पंजी इत्यादि के अवलोकन के दौरान पाया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) के पत्रांक सं0 306 दिनांक 17.07.2012 के अनुसार नगर शिक्षक नियोजन (तृतीय चरण) 2012 हेतु बेसिक ग्रेड हेतु विभिन्न कोटि/विषय अन्तर्गत कुल 17 (अन्य 13, उर्दू 4) स्नातक ग्रेड हेतु कुल 14 (हिन्दी में 4,अंग्रेजी में 04, उर्दू में 04, संस्कृत में 02) रिक्त पदों के विरूद्व बेसिक ग्रेड हेतु कुल 363 आवेदन एवं स्नातक ग्रेड हेतु कुल 423 आवेदन प्राप्त हुआ था।

औपबंधिक मेघा सूची दिनांक 20.10.2012 को तथा अंतिम मेघा सूची दिनांक 18.04.2013 को अनुमोदित किया गया था। अंतिम मेघा सूची के आलोक में कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति के विरूद्व दिनांक 22.08.2013 को बेसिक ग्रेड अन्य के लिए 13 तथा उर्दू हेतु 3 अभ्यार्थी का नियोजन (उर्दू/अनुसूचित जाति कोटि में आवेदन अप्राप्त) पत्र निर्गत किया गया था। दिनांक 31.05.2013 को स्नातक ग्रेड हिन्दी के लिए 04, अंग्रेजी के लिए 3, संस्कृत के लिये 01 तथा उर्दू हेतु 2 अभ्यार्थी का नियोजन (उर्दू में पिछड़ा वर्ग महिलाएऔर अनुसूचित जाति कोटि में आवेदन अप्राप्त) पत्र निर्गत किया गया था। निर्गत नियोजन पत्र के आलोक में बेसिक ग्रेड अन्य में 1 अभ्यर्थी तथा उर्दू में शून्य अभ्यर्थी ने योगदान दिया। स्नातक ग्रेड में हिन्दी के लिए 01, अभ्यर्थी तथा उर्दू में 01 अभ्यर्थी ने योगदान दिया।

द्वितीय चरण (दिनांक 14.09.2013) में बेसिक ग्रेड अन्य के लिए 12 अभ्यर्थी को नियोजन पत्र भेजा गया परन्तु एक भी ने योगदान नहीं किया। बेसिक ग्रेड उर्दू में भी 3 अभ्यर्थी को योगदान पत्र भेजा गया परन्तु कोई भी अभ्यर्थी ने योगदान नहीं किया। द्वितीय चरण (दिनांक 16.09.2013) में स्नातक ग्रेड अन्य के लिए 06 अभ्यर्थी को नियोजन पत्र भेजा गया जिसमें हिन्दी के लिए 02, अंग्रेजी के लिए 02, संस्कृत के लिये 01 तथा उर्दू हेतु 01 था जिसमें से एक अंग्रजी में योगदान किया।

नगर पंचायत द्वारा पुनः तृतीय चरण दिनांक 25.10.2013 में बेसिक ग्रेड अन्य हेतु 9 अभ्यर्थी को एवं उर्दु हेतु 2 अभ्यर्थी को नियोजन पत्र भेजा गया परन्तु इस हेतु नगर पंचायत नियोजन समिति की बैठक आहूत नहीं हुई साथ ही योगदान की स्थिति बेसिक ग्रेड अन्य में शून्य एवं उर्दू में भी शून्य रहा। इस प्रकार बेसिक ग्रेड में रिक्त पद 13 के विरूद्व मात्र 02 अभ्यार्थी ने और उर्दू में 4 पद के विरूद्व योगदान शून्य रहा। तृतीय चरण स्नातक ग्रेड हेतु दिनांक 28.10.2013 को 4 अभ्यर्थी हिन्दी के लिए 01, अंग्रेजी के लिए 01, संस्कृत के लिये 01 तथा उर्दू हेतु 01 अभ्यर्थी को नियोजन पत्र भेजा गया जिसमें से 02 (01 अंग्रजी में और 01 संस्कृत में) अभ्यर्थी ने योगदान किया। इस प्रकार स्नातक ग्रेड में रिक्त पद 14 के विरूद्व मात्र 05 अभ्यर्थी ने योगदान किया।

कार्यालय द्वारा पुनः 02.02.2014, 02.07.2014 तथा दिनांक 16.10.2014 को कैम्प आयोजित किया गया था जिसमें बेसिक ग्रेड अन्य में दिनांक 02.07.2014 में एक अभ्यर्थी ने योगदान दिया जबकि उर्दू में शून्य रहा। स्नातक ग्रेड में दिनांक 02.02.2014 में 01 अभ्यर्थी हिन्दी में और 02.07.2014 को 01 अभ्यर्थी ने उर्दू में योगदान दिया।

इस प्रकार बेसिक ग्रेड शिक्षक नियोजन के लिए रिक्त पद 17 (अन्य 13, उर्दू 4) के विरूद्व क्रमशः 3 एवं 0 अभ्यर्थी ने ही योगदान किया जबकी 10 एवं 4 पद रिक्त रह गया। अतएव इस नियोजन इकाई में कुल 17 में से 14 अर्थात् 82.35 प्रतिशत पद रिक्त रह गए स्नातक ग्रेड शिक्षक नियोजन के लिए रिक्त पद 14 के विरूद्व 07 अभ्यर्थी ने ही योगदान किया जबकी 07 पद रिक्त रह गया। इस प्रकार इस नियोजन इकाई में कुल 14 में से 07 अर्थात् 50 प्रतिशत पद रिक्त रह गए।

बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्र सं0 7/वे0 1–08/2012/149 दिनांक 11.02.2013 के अनुसार दिनांक 12.03.2013 तक नियोजन पत्र निर्गत किया जाना था। किंतु प्रथम नियोजन पत्र बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड को क्रमशः 22.08.2013 और 31.05.2013 को निर्गत किया गया। जिसका कारण लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि तथ्यों की छानबीन कर उचित कार्रावई की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है, नियोजन नहीं किये जाने के कारण इस नगर पंचायत के बहुत सारे बच्चे अनिवार्य एवं गुणवतापूर्ण शिक्षा से वंचित रह गए। नियोजन इकाई द्वारा सभी रिक्त पदों पर नियोजन नहीं कराए जाने के कारणों से लेखा परीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया और उक्त वांछित अभिलेखों की सत्यापित प्रति लेखा परीक्षा दल को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाय। कार्यालय द्वारा अंतिम मेघा सची की सूचना NIC पर अपलोड करने संबंधी साक्ष्य भी दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया साथ ही बेसिक ग्रेड नियोजन हेतु नियोजन पत्र भी रजिस्टर्ड डाक से ससमय प्रेषित किये जाने का साक्ष्य भी लेख परीक्षा दल को नहीं दिखाया गया।

कंडिका सं. 18 बेसिक ग्रेड में प्रथम चयनित अभ्यर्थियों के सूची में अस्थि विकलांग कोटि का गलत चयन

नगर पंचायत बहादुरगंज के शिक्षक नियोजन से संबंधित अभिलेख यथा कार्यवाही पंजी, आवेदन पंजी, काउन्सलिंग पंजी इत्यादि के अवलोकन के दौरान पाया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) के पत्रांक सं0 306 दिनांक 17.07.2012 के अनुसार नगर शिक्षक नियोजन (तृतीय चरण) 2012 हेतु बेसिक

ग्रेड हेतु विभिन्न कोटि/बिषय अन्तर्गत कुल 17 (अन्य 13, उर्दू 4) स्नातक ग्रेड हेतु कुल 14 (हिन्दी में 4,अंग्रेजी में 04, उर्दू में 04, संस्कृत में 02) रिक्त पदों के विरूद्व बेसिक ग्रेड हेतु कुल 363 आवेदन एवं स्नातक ग्रेड हेतु कुल 423 आवेदन प्राप्त हुआ था।

औपबंधिक मेघा सूची दिनांक 20.10.2012 को तथा अंतिम मेघा सूची दिनांक 18.04.2013 को अनुमोदित किया गया था। अंतिम मेघा सूची के आलोक में कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति के विरूद्व दिनांक 22.08.2013 को बेसिक ग्रेड अन्य के लिए 13 तथा उर्दू हेतु 3 अभ्यर्थी का नियोजन (उर्दू/अनुसूचित जाति कोटि में आवेदन अप्राप्त) पत्र निर्गत किया गया था। उक्त नियोजन पत्र के अवलोकन के दौरान पाया गया कि अभ्यर्थी बबली कुमारी अस्थि विकलांग का चयन अनारक्षित कोटि के जगह पिछड़ा वर्ग महिला में किया गया। जिसके कारण पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थी मधुश्री घोष को नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया जा सका और अनारक्षित कोटि के अभ्यार्थी मंजर इमाम को नियोजन हेतु बुलाया गया।

लेखा परीक्षा में यह पूछे जाने पर कि अस्थि विकलांग कोटि के अभ्यार्थी का चयन अनारक्षित कोटि के जगह पिछड़ा वर्ग महिला कोटि में से क्यों किया गया? कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि तथ्यों की छानबीन कर उचित कार्रवई की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है, गलत चयन किये जाने के कारण पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यार्थी मधुश्री घोष को नियोजन पत्र निर्गत नहीं किया जा सका और अनारक्षित कोटि के अभ्यार्थी मंजर इमाम को नियोजन हेतु बुलाया गया।

कंडिका सं. 19 नियोजन नहीं किये जाने के कारण पद रिक्त रहना

नगर पंचायत, बहादुरगंज के शिक्षक नियोजन से संबंधित अभिलेख यथा कार्यवाही पंजी, आवेदन पंजी, काउन्सलिंग पंजी इत्यादि के अवलोकन के दौरान पाया गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी (किशनगंज) के पत्रांक सं0 1765 दिनांक 17.08.2012 के अनुसार नगर शिक्षक नियोजन (तृतीय चरण) 2012 हेतु माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु विभिन्न कोटि/विषय अन्तर्गत कुल 11 (हिन्दी में 2, अंग्रेजी में 1, उर्दू में 01, संस्कृत में 02, समाजिक विज्ञान 02, गणित/भौतिकी 02 और जीव/रसायन 01) रिक्त पदों के विरूद्व माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु कुल 734 आवेदन प्राप्त हुआ था।

औपबंधिक मेघा सूची दिनांक 20.10.2012 को तथा अंतिम मेघा सूची दिनांक 28.01.2013 को अनुमोदित किया गया था। अंतिम मेघा सूची के आलोक में कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति के विरूद्व दिनांक 15.05.2013 को माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु कुल 11 पदों के विरूद्व 8 पदों हेतु हिन्दी में 01, उर्दू में 01, अग्रजी में 01, संस्कृत में 01, समाजिक विज्ञान 02, गणित/भौतिकी 01 और जीव/रसायन 01 (हिन्दी, संस्कुत एवं गणित/भौतिकी में अं0 पि0 वर्ग में, कॉउन्सलिंग में कोई अभ्यार्थी उपस्थित नहीं) पत्र निर्गत किया गया था। निर्गत नियोजन पत्र के आलोक में माध्यमिक शिक्षक नियोजन में उर्दू में 01 और जीव/रसायन में 01 अभ्यर्थी कुल 02 अभ्यर्थी ने योगदान दिया। द्वितीय चरण (दिनांक 16.09.2013) में माध्यमिक शिक्षक के लिए 06 अभ्यर्थी को नियोजन पत्र भेजा गया जिसमें संस्कृत में 01, समाजिक विज्ञान 02, गणित/भौतिकी 01 और अंग्रेजी में 01 और हिन्दी में 01 था जिसमें से किसी ने भी योगदान नहीं किया। नगर पंचायत द्वारा पुनः तृतीय चरण दिनांक 04.12.2013 में माध्यमिक शिक्षक हेतु 6 अभ्यर्थी हिन्दी

में 02, अग्रजी में 01, समाजिक विज्ञान 02 और गणित/भौतिकी 01 अभ्यर्थी को नियोजन पत्र भेजा गया जिसमें से 01 अभ्यर्थी ने समाजिक विज्ञान में योगदान किया।

इस प्रकार रिक्त पद 11 के विरूद्व मात्र 03 अभ्यर्थी ने योगदान किया। कार्यालय द्वारा पुनः 31.01.2014, 14.06.2014 तथा दिनांक 13.10.2014 को कैम्प आयोजित किया गया था जिसमें माध्यमिक शिक्षक में दिनांक 31.01.2014 में 03 अभ्यर्थी (समाजिक विज्ञान में 01, गणित/भौतिकी में 01 और हिन्दी में 01) हिन्दी में, 14.06.2014 को 01 अभ्यर्थी समाजिक विज्ञान में, योगदान दिया।

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए रिक्त पद 11 के विरूद्व 07 अभ्यर्थी ने ही योगदान किया जिसमें से 02 अभ्यर्थी ने त्यागपत्र कर दिया। जबकी 06 पद रिक्त रह गया। इस प्रकार इस नियोजन इकाई में कुल 11 में से 06 अर्थात् 55 प्रतिशत पद रिक्त रह गए।

बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्र सं0 7/वे0 1–08/2012/149 दिनांक 11.02.2013 के अनुसार दिनांक 12.03.2013 तक नियोजन पत्र निर्गत किया जाना था। किंतु प्रथम नियोजन पत्र 15.05.2013 को निर्गत किया गया। 02 अभ्यर्थी के त्यागपत्र दिये जाने और नियोजन पत्र देर से निर्गत करने का कारण लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि तथ्यों की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जायेगी।

कार्यालय द्वारा कॉउन्सलिंग हेतु सूचना NIC पर अपलोड करने संबंधी साक्ष्य भी दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया साथ ही बेसिक ग्रेड नियोजन हेतु नियोजन पत्र भी रजिस्टर्ड डाक से ससमय प्रेषित किये जाने का साक्ष्य भी लेखा परीक्षा दल को नहीं दिखाया गया। माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु आयोजित तीनों कैम्प के संबंध में नगर पंचायत नियोजन समिति से कार्यवाही पंजी में अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

नियोजन इकाई द्वारा सभी रिक्त पदों पर नियोजन नहीं कराए जाने के कारणों से लेखा परीक्षा दल को अवगत कराने को कहे जाने पर कार्यालय प्रधान ने उत्तर दिया कि तथ्यों की छानबीन कर उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है, नियोजन नहीं किये जाने के कारण इस नगर पंचायत के बहुत सारे बच्चे अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह गए।

कंडिका सं. 20 नियोजन नहीं किये जाने के कारण पद रिक्त रहना

नगर पंचायत, बहादुरगंज के उच्च्तर माध्यमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित अभिलेख यथा कार्यवाही पंजी, आवेदन पंजी, काउन्सलिंग पंजी इत्यादि बार– बार मौखिक एवं लिखित माँगने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अंशतः दस्तावेजों के अनुसार नगर शिक्षक नियोजन (तृतीय चरण) 2012 हेतु उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु विभिन्न कोटि/विषय अन्तर्गत कुल 31 (भौतिकी में 02, राजनीति शास्त्र में 03, अर्थशास्त्र में 01, हिन्दी में 02, इतिहास में 03, समाज शास्त्र में 02, भुगोल में 01, अंग्रेजी में 02, EPS में 01, जीव विज्ञान (Botany) में 01, ACY में